



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

८ श्रावण १९३७ (श०)

(सं० पटना ४५५) पटना, वृहस्पतिवार, ३० जुलाई २०१५

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

अधिसूचनाएं

२९ जुलाई २०१५

सं० १०/रा.म.स.नीति-२७/२०१५-३४८२—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की धारा-३ के तृतीय परन्तुक [बिहार वित्त अधिनियम, २००१ (अधिनियम सं०-११, २००२) द्वारा यथा अन्तः स्थापित] के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार उक्त अधिनियम की अनुसूची-I-ए के अनुच्छेद संख्या २३ एवं अनुच्छेद संख्या ३३ को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं: —

अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज का प्रकार	देय स्टाम्प ड्यूटी
२३	अभिक्रमण-पत्र (विक्रय-पत्र मात्र)	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में ५.७% (ख) महिला से पुरुष को अंतरण की स्थिति में ६.३% (ग) अन्य परिस्थितियों में ६%
३३	दान-पत्र	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में ५.७% (ख) महिला से पुरुष को अंतरण की स्थिति में ६.३% (ग) अन्य परिस्थितियों में ६%

(२) उक्त स्टाम्प ड्यूटी की दरें अधिसूचना-निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।

29 जुलाई 2015

सं 10 / रा.म.स.नीति-27 / 2015-**3482**—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सरकार के सचिव।

The 29th July 2015

No. 10/Ra.M.S. Neeti-27/2015-**3482**—In exercise of the powers conferred by 3rd proviso of section 3 of the Indian Stamp Act, 1899 [as inserted by the Bihar Finance Act, 2001 (Act No.-11 of 2002)], the Governor of Bihar is pleased to substitute the Article No. 23 and Article No. 33 of Schedule-IA of the said Act by the following: --

1

Article No.	Types of Document	Stamp duty payable
23	Conveyance (Sale deed only)	(a) in case of transfer from male to female 5.7%, (b) in case of transfer from female to male 6.3%, (c) in any other case 6%.
33	Gift Deed	(a) in case of transfer from male to female 5.7%, (b) in case of transfer from female to male 6.3%, (c) in any other case 6%.

1

(2) Rates of the said stamp duty shall be effective from the date of issuance of the notification.

By Order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 855-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>